संख्या:752/2023/2104/35-4-2023/001-35-4099/120/2023

प्रेषक,

राम प्रीत राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 31 जुलाई,2023

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत स्वीकृत कार्य हेतु निर्गत शासनादेश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत जनपद गाजियाबाद में 02 कार्यों की स्वीकृति से सम्बन्धित नियोजन अनुभाग-4 के दिनांक 28 जुलाई, 2023 को निर्गत शासनादेश सं0-747/2023/2096/35-4-2023 में शासनादेश संख्या टंकण त्रुटि के कारण त्रुटिपूर्ण अंकित हो गयी है। इसे निम्नवत पढ़ा जाय:-

"शासनादेश संख्या-747/2023/2097/35-4-2023"

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

संख्या:752/2023/2104(1)/35-4-2023/001-35-4099/120/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गाजियाबाद।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गाजियाबाद।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in